

28/83

9498/11

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



V 170077  
1 JUN 2011

विक्रय-पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

- |    |                                     |                        |
|----|-------------------------------------|------------------------|
| 1. | भूमि का प्रकार                      | : कृषि                 |
| 2. | परगना                               | : बिजनौर               |
| 3. | ग्राम                               | : बरौना                |
| 4. | सम्पत्ति का विवरण<br>(सम्पत्ति नं०) | : भूमि खसरा संख्या-258 |
| 5. | मापन की इकाई                        | : हेक्टेअर             |



88/83

9498/11

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



V. 170077  
 1 JUN 2011  
 संयोजक, न्यायिक न्याय  
 उत्तर प्रदेश, लखनऊ

विक्रय-पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

- |    |                                     |                        |
|----|-------------------------------------|------------------------|
| 1. | भूमि का प्रकार                      | : कृषि                 |
| 2. | परगना                               | : बिजनौर               |
| 3. | ग्राम                               | : बरौना                |
| 4. | सम्पत्ति का विवरण<br>(सम्पत्ति नं०) | : भूमि खसरा संख्या-258 |
| 5. | मापन की इकाई                        | : हेक्टेअर             |



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 5000

पाँच हजार रुपये

Rs. 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 170071

- 2 -

- |     |                               |   |  |
|-----|-------------------------------|---|--|
| 6.  | विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल | : | 0.0433 हेक्टेअर                                      |
| 7.  | सड़क की स्थिति                | : | सुल्तानपुर रोड व अमर शहीद पथ से 200 मीटर से अधिक दूर |
| 8.  | सम्पत्ति का प्रकार            | : | कृषि   |
| 9.  | पेड़ों का मूल्यांकन           | : | कुछ नहीं   |
| 10. | बोर्डिंग/कुआ/अन्य             | : | कुछ भी नहीं  |
| 11. | प्रतिफल की धनराशि             | : | रु0 3,25,131/-                                       |
| 12. | मालियत                        | : | रु0 6,49,500/-                                       |
| 13. | स्टाम्प                       | : | रु0 45,500/-   |

  
राजेश कुमार

  
20-9-2014

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 170072

- 3 -

घोहददी

खसरा नं०-258

उत्तर : खसरा संख्या-260, 257  
दक्षिण : खसरा संख्या-264  
पूरुब : खसरा संख्या-257  
पश्चिम : खसरा संख्या-261, 262

प्रथम पक्ष की संख्या-01

द्वितीय पक्ष की संख्या-01

विक्रेता का विवरण

रामघाट पुत्र रामपाल निवासी-  
चौधरीखेड़ा मजरा-ग्राम-बरीना,  
परगना-बिजनौर व तहसील व  
जिला-लखनऊ।

व्यवसाय - कृषि

: क्रेता का विवरण

राम सजीवन पुत्र भोंदू,  
निवासी- ग्राम-पूरे निहड़ी,  
कलीली, गुरुबक्शागंज, जिला-  
रायबरेली।

व्यवसाय-कृषि

Dr. S. K. Singh

Dr. S. K. Singh

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 5000

पाँच हजार रुपये

Rs. 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTIAR PRADESH

V 170073

- 4 -

### विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख रामधर पुत्र रामपाल निवासी- चौधरीखेड़ा मजरा-ग्राम-बरोना, परगना-बिजनौर व तहसील व जिला-लखनऊ, जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है,

एवम

राम सजीवन पुत्र माँदू, निवासी- ग्राम-पूटे निद्धी, कलौली, गुरुबकशगंज, जिला-रायबरेली जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

  
रामधर

  
रामजीवन

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 170070

12/1/2011

- 5 -

यह कि विक्रेता खाता खतौनी नं०-00326 कृषि भूमि खसरा संख्या-258 रकबा 0.130 हेक्टेअर का 1/3 भाग यानि विक्रीत रकबा 0.0433 हेक्टेअर, स्थित ग्राम-बरीना, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, का मालिक, कामिल व काबिज है जो विक्रेता को वरासतन प्राप्त हुई है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खतौनी फसली वर्ष 1413 से 1418 के खाता खतौनी क्रम संख्या-00326 के अनुसार विक्रेता के नाम अमल दरामद हो चुका है। उक्त आराजी आज विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है और जो कहीं विक्रय, हिबा, ऋणभार, कुर्की, व



Dr. M. S. Singh



Dr. M. S. Singh

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 170069

- 6 -

जमानत आदि से ग्रसित नहीं है, उक्त आराजी में किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्वामित्व एवं अधिकार नहीं है और न ही कोई व्यक्ति भागीदार है। अब बजरुत खुद विक्रेता के उसी आराजी रकबा उपरोक्त को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों सहित बिना छोड़े किसी चीज व हक के खूब साँच व समझकर बिना किसी दबाव के, बरखज मुबलिंग रू० 3,25,131/- (रुपया तीन लाख पच्चीस हजार एक सौ इकतीस मात्र) में क्रेता उपरोक्त को बय कतई किया और कुल विक्रय धनराशि कबल तहरीर दस्तावेज हाजा क्रेता उपरोक्त से नीचे दिये गये विवरण के अनुसार प्राप्त करके कब्जा



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 5000

पाँच हजार रुपये

Rs. 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 170068

2011

- 7 -

व दखल मालिकाना आराजी बयशुदा पर आज से बखूबी करा  
दिया। अब विक्रेता व चारिसान विक्रेता को कोई हक व दावा  
निस्वत आराजी बयशुदा व विक्रय धनराशि के क्रेता से बाकी नहीं  
रहा, अगर कोई शख्स दावा करे तो वह बिल्कुल नाजायज होवे,  
और अगर आराजी बयशुदा पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के  
स्वामित्व एवं अधिकारों से निकल जावे या कब्जा न मिले या कहीं  
विक्रय, हिबा, ऋणभार, कुर्की व जमानत आदि से ग्रसित पायी  
जाती है तो ऐसी स्थिति में क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपना  
कुल विक्रय धनराशि मय हर्जा-खर्चा व नुकसान के सब विक्रेता



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 1700677

- 8 -

व वारिसान विक्रेता से व विक्रेता की अन्य सम्पत्ति चल व अचल  
से जरिये न्यायालय प्राप्त कर लें, इसमें विक्रेता व वारिसान  
विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

अब क्रेता उपरोक्त को पूरा अधिकार है कि वह विक्रीत  
आराजी के सम्बन्ध में समस्त सरकारी अमिलेखों में अपने नाम  
दाखिल-खारिज करा लें।

  
D. M. ...

  
D. M. ...

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 170066

20/07/2017

- 9 -

आराजी उपरोक्त में पेड़, ट्युबवेल, कुआं व इमारत आदि नहीं है। आराजी उपरोक्त के 200 मीटर त्रिज्या में कोई निर्माण आदि नहीं है।

आराजी उपरोक्त किसी लिंक मार्ग जनपदीय मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है।

आराजी स्थित ग्राम बरौना, परगना-बिजनौर के अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है जो नगर निगम सीमा के बाहर स्थित है जिसकी कृषि भूमि की बाजार कीमत



...



...

भारतीय गैर न्यायिक  
भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED  
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 218870

12 JUN 2018

- 10 -

22,50,000/- रूपया प्रति हेक्टेअर की दर से निर्धारित है, चूंकि विक्रीत भूमि 5 बिस्वा से कम है इसलिए आवासीय दर रू0 1500/- प्रति वर्गमीटर की दर से विक्रीत रकबा 0.0433 हेक्टेअर यानि 433 वर्गमीटर की मालियत रू0 6,49,500/- होती है, जो कि विक्रय मूल्य से अधिक है। अतः नियमानुसार मालियत पर ही जनरल स्टाम्प शुल्क 45,500/- के अदा किये जा रहे हैं।

उपरोक्त आराजी मुख्य मार्ग शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।



2175 306111

वि. सं. १०८३/२०१६  
वि. सं. १०८३/२०१६  
वि. सं. १०८३/२०१६  
वि. सं. १०८३/२०१६

21/11/16  
जि. ६२ कुलैय स्टाप वेन्डर  
बसिनस १-१६६, मंगल पुरीया बसस्टॉप  
बसिनस १३/३/२०१६



विक्रेता व क्रेता दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य हैं।  
उक्त आराजी किसी योजना व किसी सरकारी व अर्ध सरकारी  
संस्था द्वारा अधिगृहीत नहीं है।

### विवरण भुगतान

1. रू0 2,50,000/- (रूपया दो लाख पचास हजार मात्र)  
जरिये चेक संख्या- 842269 दिनांकित 30.06.2011  
पंजाब नेशनल बैंक, शाखा-हजरतगंज, लखनऊ विक्रेता  
ने क्रेता से प्राप्त किये।
2. रू0 75,131/- (रूपया पचहत्तर हजार एक सौ  
इकतीस मात्र) नगद विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त किये।

इस प्रकार विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य रू0 3,25,131/-  
(रूपया तीन लाख पच्चीस हजार एक सौ इकतीस मात्र) क्रेता से  
प्राप्त हुए तथा अब कोई लेना देना शेष नहीं रहा।

लिहाजा यह दस्तावेज विक्रेता ने अपनी खुशी व रजामन्दी  
से खूब सोंच व समझकर बिना किसी दबाव के, क्रेता उपरोक्त के  
पक्ष में लिख दिया ताकि सदन रहे और वक्त जरूरत पर काम  
आवे।



अ. प्रमोद



अ. प्रमोद

विद्युत पत्र

325,121.00/ 650,000.00

10,000.00 20 10,029.00

श्री. राजेश्वरी नरक व पत्राचार

श्री. राजेश्वरी नरक  
श्री. राजेश्वरी नरक

पत्राचार

निवासी श्री. राजेश्वरी नरक

पत्राचार

ने. प्र. सं. 30/8/2011 संख्या 4/SSPM

द्वारा निदेशित है।



निदेशिका अधिकारी के हस्ताक्षर

श्री. के. शिवद्री  
उप निबंधक (प्रथम)

लखनऊ  
30/8/2011

निदेशिका संख्या 30/8/2011 संख्या 4/SSPM

विद्युत

श्री. राजेश्वरी नरक

श्री. राजेश्वरी नरक  
श्री. राजेश्वरी नरक  
पत्राचार  
निवासी श्री. राजेश्वरी नरक

श्री. राजेश्वरी नरक  
श्री. राजेश्वरी नरक  
निवासी श्री. राजेश्वरी नरक

ने. प्र. सं. 30/8/2011 संख्या 4/SSPM

द्वारा निदेशित है।

निवासी श्री. राजेश्वरी नरक

पत्राचार

निवासी श्री. राजेश्वरी नरक

श्री. राजेश्वरी नरक

श्री. राजेश्वरी नरक

निवासी श्री. राजेश्वरी नरक

पत्राचार

द्वारा निदेशित है।

निवासी श्री. राजेश्वरी नरक

श्री. राजेश्वरी नरक



श्री. के. शिवद्री  
उप निबंधक (प्रथम)  
लखनऊ  
30/8/2011

अतः आज उभय पक्षों ने इस विक्रय विलेख पर अपने-अपने हस्ताक्षर करके इसे निष्पादित किया।

दिनांक :- 30.06.2011

लखनऊ

गवाहान:-

1. जयपुर शिवाजी  
अपने उभय पक्षों  
लाखनऊ (लाखनऊ)

विक्रता  


2. अजय श/0  
लाखनऊ

  
अजय श/0

लाखनऊ

टाईपकर्ता:  
  
(राम सनेही)

मसाविदाकर्ता:  
  
(विवेक कुमार सिंह)  
एडवोकेट.

विक्रम

Registration No.: 9498

Year: 2011


Book No.: 1

0101 रामचरि

रामचरि

सोपरीपेठे मनीषा लखनपु

मुम्बै



258 नदी नदी का-विभाग  
0.04331 जिला का पत्र -



जिला  
शमशाह

जिला  
शमशाह

केला

Registration No. 9498

Year 2011

Book No. 1

0201 समसुजीवन  
शतृ  
पूर् निरी (पुस्तक नमूनेली)  
बापक



रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु  
फिंगर्स प्रिन्ट्स

विक्रेता का नाम व पता- रामधार पुत्र रामपाल निवासी- चौधरीखेड़ा मजरा-ग्राम-बरोना,  
परगना-विजनीर व तहसील व जिला-लखनऊ  
बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



21/4/18 की दि

क्रेता का नाम व पता-राम सजीवन पुत्र भोंदू, निवासी- ग्राम-पूरे  
गुरुबक्शगंज, जिला-रायबरेली

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



हस्ताक्षर क्रेता  
राम सजीवन

आज दिनांक 30/06/2011 को

पृष्ठ सं 1 शिर्षक सं 12936

पृष्ठ सं 173 से 200 पर क्रमांक 9498

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रार अधिकारी के हस्ताक्षर



पी. के. द्विवेदी

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

30/6/2011